संख्या— 119 /4612/स0ना0उ0/पी0एस0/(कैम्प)/2005

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

निदेशक,
राजकीय नागरिक उड्डयन,
उत्तरॉचल,
देहरादून ।

नागरिक उड्डयन विभाग देहरादून:दिनॉक 16 जून, 2006

विषय:— नैनी—सैनी हवाई पट्टी, पिथौरागढ़ के विस्तारीकरण कार्य हेतु चिन्हित अतिरिक्त भूमि/सम्पत्ति/सम्पदा आदि के क्रय अथवा अर्जन के सम्बन्ध में संशोधित प्रस्ताव के आधार पर वित्तीय वर्ष 2006—2007 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या— 611/4612/ स0ना0उ0/ पी0एस0 (कैम्प)/2005 दिनांक 7—2—2006 एवं जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्र संख्या— 1503/पन्द्रह—17/2006 दिनांक 17—5—2006 एवं संख्या—र—3357/पन्द्रह—73 (99—2000) दिनांक 19—5—2006, जिनकी प्रतियां संलग्न कर प्रेषित हैं, के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनॉक 7 फरवरी, 2006 के प्रस्तर—1 के विवरण में आंशिक संशोधन करते हुये अब प्रभावित काश्तकारों द्वारा हवाई पट्टी विस्तारीकरण में आने वाली अपनी भूमि के खेत अच्छे व उपजाऊ होने के कारण रू0 2.00 लाख प्रति नाली की दर से भुगतान की मांग पर मा0 मंत्री लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल एवं आयुक्त कुमांउ मण्डल तथा जिलाधिकारी पिथौरागढ के साथ जनप्रतिनिधियों से हुई वार्ता के बाद आम सहमति के उपरान्त प्रभावित कुल नाप भूमि 18.734 है0 भूमि आदि के कय/अर्जन तथा फलदार वृक्षों के भुगतान हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त कुल आंकलित रू0 19.00 करोड़ की धनराशि की प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त शासनादेश द्वारा गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराई गई रू0 5.00 करोड़ की धनराशि के अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006—2007 में रुपये 9.00 करोड़ (रुपये नौ करोड़ मात्र) की धनराशि के ब्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का आहरण पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद तीन अथवा चार किश्तों के अग्रिम के रूप में आहरण पूर्व आहरित किश्त का पूर्ण उपयोग के बाद ही आगामी किश्त का आहरण किया जायेगा। उक्त योजना हेतु समयबद्व रूप से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी ।

2— उक्त धनराशि की अलग से स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है बल्कि इसका ब्यय शासनादेश संख्या—60/IX/(31)/2006-2007/बजट/प्लान/नॉन प्लान/2006—07 दिनांक 8 मई, 2006 द्वारा निदेशक नागरिक उड्डयन, उत्तरांचल, देहरादून के निवर्तन पर रखी गई धनराशि से ही किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का आहरण कर ब्यय हेतु जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को रेखॉकिंत बैंक ड्राफट के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा । किसी भी दशा में इस धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में कदापि नहीं किया जायेगा ।

4. इस धनराशि का व्यय उसी कार्य /प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है।

5. समस्त अग्रिमों का समायोजन दिनांक 31—3—2007 तक कर लिया जायेगा और इसके बाद ही कोई भी आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

6. व्यय के सम्बन्ध में शेष सभी शर्ते एवं प्रतिबन्ध पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 7–2–2006 के अनुरूप ही रहेंगी।

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–2007 के आय–व्यय के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय 02–विमान पत्तन आयोजनागत्त 800–अन्य व्यय –03 हवाई पट्टी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान –00–24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 199/ XXVII(2)/2006,दिनॉक 15 जून, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या– 119 /4612/स0ना0उ0/पी0एस0/(कैम्प)/2005,समदिनॉकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेरॉय मोटर बिल्डिंग, माजरा,देहरादून ।
2. आयुक्त,कुमॉऊ मण्डल,नैनीताल ।
3. जिलाधिकारी,पिथौरागढ़ ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून
5. स्टाफ आफीसर,मुख्य सचिव,उत्तरॉचल ।
6. निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी
7. वित्त अनुभाग–2
8. बजट संसाधन एवं राजकोषीय निदेशालय।
9. गार्ड फाइल ।
10. एन0आई0सी0उत्तराचल

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव